

राज्य सरकार
 आयात भूअभिलेख अधिकारी (अपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठारीय अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प (सीडी/19)

। आदेश ।

प्राणी के खाता दृश्यता प्रार्थना पत्र एवं पत्रवाही (सीडी/19) व भूअभिलेख (सीडी/19) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मामलों को तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी समेत (सीडी/19) में खाता संख्या (सीडी/19) में वर्तमान में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमाम के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जागी है)
1	दो खोला	133, 137	माला-माला (133) दरमाम-दरमाम	माला-माला (133) दरमाम-दरमाम

(रतनलाल शर्मा)
 पीठारीय अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (अपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 537/19

दिनांक :- 23/11/19

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमाम शुद्ध किया जाकर माला रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राणी श्री अशोक कुमार शर्मा को सूचना दी।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल शर्मा)
 पीठारीय अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (अपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा